न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत तहसील बनेड़ा

प्रकरण संख्या : 41/2014 राजस्व वाद
अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0ए0

वास्ते :– तहसीलदार बनेड़ा

विषयः– परिवाद अन्तर्गत धारा 183 आरटीए

उनवान

1. श्री प्रेमसिंह पिता अमरसिंह राजपूत निवासी सादास, तहसील बनेड़ा भीलवाड़ा

——प्रार्थी

बनाम

1. नारायण सिंह पिता गुमानसिंह राजपूत निवासी सादास, तहसील बनेडा

——विपक्षीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक 28.05.2016

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने दिनांक 10.11.2014 को एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगणसंख्या–1 के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम सादास प0हल्का मेघरास में वादीगण के नाम पर खाता संख्या के आ. सं. 595 रकबा 03 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड है। जिसकी वादीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी से विधिक आदेश लेकर दिनांक 03.06.2014 को भू अभिलेख निरीक्षक से पत्थरगढ़ी कराई गई तथा उक्त्त पत्थरगढ़ी में पाया गया कि प्रतिवादीगण का वादीगण की आराजीयात पर 0.03 बीघा भू भाग पर अवैध कब्जा है। जिसका कब्जा सिपुर्द करने से प्रतिवादीगण इंकार कर दिया है। अतः वादीगण को उसकी 1.10 बीघा का कब्जा सिपुर्द किया जावें
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादी को बावजूद सूचना निममित पैशीयों पर अनुपस्थित पाया गया। इसी दौरान राजस्व लोक अदालत –2016/केम्प कोर्ट का आयोजन नियत होने से उक्त प्रकरण में सभी पक्षों को सूचना पत्र जारी कर केम्प कोर्ट आमा में तलब किया गया। केम्प कोर्ट आमा में वादी संख्या 1 ने उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 01 बावजूद सूचना केम्प में अनुपस्थित रहे।
3. वादी को सुना गया। प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी उनकी मौजूदगी में कराई जाने की स्थिति में वादी के हक एंव खाते की भूमि पर यदि किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण होना पाया गया तो उस भू भाग से अपना अतिक्रमण हटा कर वादीगण को कब्जा स्वंय के खर्चे पर सिपुर्द किये जाने नाफिक डिक्री किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

अनुसार चारो तरफ पत्थर के रूढे रूकवाये गये उक्त रूढे के अनुसार प्रतिवादी का

आदेश

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 183, राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस प्रकार फैसल किया जाता है कि वाके ग्राम मेघरास पटवार मण्डल मेघरास में स्थित वादीगण की खातेदारी आराजी संख्या 595 रकबा 0—03 बीघा भूमि को मौके पर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें तथा नपती उपरान्त यदि वादीगण के हक एवं हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जावें तो उक्त अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से उनके स्वंय के खर्चे पर वादीगण को सिपुर्द किया जावें। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। आदेश की पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर नपती के सम्बंध में पक्षकारान को न्युनतम 3 दिन पूर्व सूचित कर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें। यदि वादीगण के हक एवं हिस्से की भूमि का प्रतिवादीगण का कोई अनाधिकृत कब्जा पाया जावें तो उक्त भू भाग से प्रतिवादीगण को बैदखल किया जाकर मौके पर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जावें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय दिनांक 28.05.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय माथुर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेडा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाडा (राज.)

...अनुसार चारो तरफ पत्थर के रूढे रूकवाये गये उक्त रूढे के अनुसार प्रतिवादी का